न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-554RAAJodhpur2024-289RTA225 Kamla Vs Dhanni etc

कमला पत्नी भगवानाराम, जाति विष्नोई, निवासी– केनलसर,
तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. धन्नी पत्नी मलूराम जाति विष्नोई, निवासी– गोडू, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 09 दिसंबर 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2023 धन्नी बनाम कमला इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोषनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री अर्जुनसिंह डोगियाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02

नि र्ण य

दिनांक : 14 मई 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2023 धन्नी बनाम कमला इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 09 दिसंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 18 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी खेत खसरा नं. 286 ग्राम केलनसर तहसील बाप में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 287/2 में सें 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना

बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी/अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी/रेस्पो. के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया गया। तत्पष्चात विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेष दिनांक 09 दिसंबर 2024 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। मात्र प्रत्यर्थी संख्या एक की सुविधा के लिए नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थी की ओर से अपने जवाब में स्पष्ट तौर पर वर्णन किया गया है कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नंबर 542/296 में से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो निकटतम रास्ता है तथा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से कानूनन नये रास्ते का आदेष नहीं दिया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जिस पर अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट पर आपत्ति भी प्रस्तुत की गई, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा आपत्ति को खारिज कर अपीलाधीन आदेष पारित कर दिया जो धारा 251–ए की मंषा के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 09 दिसंबर 2024 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनो का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेष पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ते क अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नही है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब एवं नजरी नक्षा के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नंबर 543/296 में से वैकल्पिक एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध होना प्रतीत होता है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट दिनांक 12 अप्रैल 2024 के अवलोकन से प्रकट होता है कि भू–अभिलेख निरीक्षक रोहिणा द्वारा मौका जांच करने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया है तथा मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तों की जांच किये बिना केवल वांछित रास्ते की ही जांच किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का विधिसम्मत निस्तारण किये बिना तथा उसकी ओर से सुझाये गये वैकल्पिक रास्ते बाबत जांच रिपोर्ट तलब तलब किये बिना एकपक्षीय मौका रिपोर्ट दिनांक 12 अप्रैल 2024 के आधार पर अपीलाधीन आदेष पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष विधि–विरूद्ध एवं धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2023 धन्नी बनाम कमला इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 09 दिसंबर 2024 निरस्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तों बाबत जांच रिपोर्ट उभय पक्ष की उपस्थिति में तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम पर विधिसम्मत आदेष पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर